रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 13, 2009/श्रावण 22, 1931
No. 143] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 13, 2009/SRAVANA 22, 1931

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2009

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (निम्नतर शास्ति) विनियम, 2009 (2009 का सं. 4)

सं. एल-3(4)/विनियम-नि.शा./2009-10/सीसीआई.—भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 46 और धारा 27 के खंड (ख) के साथ पठित धारा 64 द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. -

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम प्रतिस्पर्धा आयोग (निम्नतर शास्ति) विनियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं. -

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) अभिप्रेत है ;

(ख) "आवेदक" से अधिनियम की धारा 2 के खंड (ज) में यथापरिभाषित ऐसा कोई उद्यम अभिप्रेत है, जो किसी उत्पाद संघ का सदस्य है अथवा था और जो आयोग को निम्नतर शास्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है ;

(ग) "उत्पादक संघ" से अधिनियम की धारा 2 के खंड (ग) में यथापरिभाषित उत्पाद संघ अभिप्रेत है ;

(घ) "आयोग" से अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग अभिप्रेत है ;

(ङ) "कंपनी" से अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण के खंड (क) में यथापरिभाषित कोई व कंपनी अभिप्रेत है ;

(च) "पदाभिहित प्राधिकारी" से आयोग का ऐसा कोई अधिकारी अभिप्रेत है जो इन विनियमों के प्रयोजन के लिए इस प्रकार कृत्य करने के लिए अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत है ;

(छ) "महानिदेशक" से अधिनियम की धारा 2 के खंड (छ) में यथापरिभाषित महानिदेशक अभिप्रेत है ;

(ज) "पूर्विकता स्थिति" से आवेदकों की कतार में निम्नतर शास्ति का फायदा देने के लिए चिन्हित आवेदक की स्थिति अभिप्रेत है ;

(झ) "महत्वपूर्ण प्रकटन" से आवेदक द्वारा आयोग को सूचना या साक्ष्य द्वारा ऐसा पूर्ण और सत्य प्रकटन अभिप्रेत है, जो आयोग को किसी उत्पादक संघ के अस्तित्व के बारे में प्रथम दृष्टया राय बनाने में समर्थ बनाता है या अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के उल्लंघन को स्थापित करने में सहायता करता है ।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्दों और पदों का, जो परिभाषित नहीं हैं, क्रमशः वही अर्थ होगा, जो उनका, यथास्थिति, अधिनियम, नियम, विनियम या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में है ।

3. निम्नतर शास्ति के लिए शर्तें.-

(1) अधिनियम की धारा 46 के अधीन निम्नतर शास्ति के फायदे के लिये आवेदन करने वाला कोई आवेदक, -

(क) जब तक कि आयोग द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए, अपने प्रकटन के समय से उत्पादक संघ में आगे और भागीदारी समाप्त कर देगा ;

(ख) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन उल्लंघन के संबंध में महत्वपूर्ण प्रकटन उपलब्ध कराएगा ;

(ग) पूर्ण अन्वेषण और आयोग के समक्ष अन्य कार्यवाहियों के दौरान वास्तविक रूप से, पूर्णतया, निरंतर और शीघ्रता के साथ सहायता उपलब्ध कराएगा ; और

(घ) किसी भी रीति में ऐसे संगत दस्तावेजों को जो उत्पादक संघ की स्थापना के संबंध में सहयोग कर सकेंगे, नहीं छिपाएगा, नष्ट, छलयोजित नहीं करेगा या नहीं हटाएगा ।

(2) उस दशा में, जहां आवेदक उपविनियम (1) में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां आयोग अधिनियम की धारा 46 के उपबंधों के अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी और साक्ष्य का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

(3) उपविनियम (1) और (2) में की किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयोग मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात्, आवेदक को ऐसे और निर्बंधनों और शर्तों के अध्यधीन कर सकेगा, जिन्हें वह उचित समझे ।

(4) इन विनियमों के अधीन धनीय शास्ति में कमी करने के संबंध में आयोग के विवेकाधिकार का प्रयोग निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, -

(क) वह प्रक्रम जिसपर आवेदक प्रकटन के साथ सामने आता है ;

(ख) आयोग के कब्जे में पहले से विद्यमान साक्ष्य ;

(ग) आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी की गुणवत्ता ; और

(घ) मामले के पूर्ण तथ्य और परिस्थितियां ।

4. निम्नतर शास्ति का मंजूर किया जाना.-

विनियम 3 में अधिकथित शब्दों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित रीति में, जैसा कि आयोग विनिश्चय करे, आवेदक को अधिनियम की धारा 27 के खंड (ख) के अधीन उदग्रहणीय शास्ति से निम्नतर शास्ति का फायदा मंजूर किया जा सकेगा

(क) यदि आवेदक किसी उत्पाद संघ का ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करे, जो आयोग को किसी ऐसे उत्पादक संघ की, जिसमें अभिकथित रूप से अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन किया है, विद्यमानता के संबंध में प्रथम दृष्टया राय बनाने में समर्थ बनाता है, महत्वपूर्ण प्रकटन करने वाला प्रथम व्यक्ति है और आवेदन के समय पर आयोग के पास ऐसी कोई राय बनाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं था, तो आवेदक को शास्ति के सौ प्रतिशत तक या उसके समतुल्य कमी का फायदा मंजूर किया जा सकेगा :

परंतु यह कि यदि आवेदक ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करे,, जो किसी अन्वेषणाधीन मामले में अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन को स्थापित करता है, महत्वपूर्ण प्रकटन करने वाला प्रथम व्यक्ति है और आवेदन के समय पर आयोग या महानिदेशक के पास ऐसे उल्लंघन को स्थापित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं था, तो आवेदक को शास्ति के सौ प्रतिशत तक या उसके समतुल्य कमी का फायदा मंजूर किया जा सकेगा :

परंतु यह और कि शास्ति में उसके सौ प्रतिशत तक या उसके समतुल्य कमी के फायदे के लिए आवेदन पर केवल तब विचार किया जाएगा, यदि आवेदन के समय आयोग द्वारा किसी अन्य आवेदक को ऐसा फायदा मंजूर नहीं किया गया है ।

(ख) पहले आवेदक के पश्चातवर्ती आवेदकों को भी, ऐसा साक्ष्य, जो आयोग की राय में, यथास्थिति, आयोग अथवा महानिदेशक के पास किसी ऐसे उत्पादक संघ की, जिसने अभिकथित रूप से अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन किया है, विद्यमानता को स्थापित करने के लिए पहले से मौजूद साक्ष्य को सटीक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगा, प्रस्तुत करके प्रकटन करने पर शास्ति में कमी का फायदा मंजूर किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण.- इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए "सटीक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान" से वह विस्तार अभिप्रेत है, जिसतक उपलब्ध कराया गया साक्ष्य, यथास्थिति, आयोग अथवा महानिदेशक के, किसी ऐसे उत्पादक संघ की, जिसने अभिकथित रूप से अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन किया है, विद्यमानता को स्थापित करने के लिए सामर्थ्य में वृद्धि करता है ।

(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट धनीय शास्ति में कमी निम्नलिखित क्रम में होगी -

(i) पूर्विकता स्थिति में द्वितीय के रूप में चिन्हांकित आवेदक को उदग्रहणीय पूर्ण शास्ति के पचास प्रतिशत तक या उसके समतुल्य कमी मंजूर की जा सकेगी ; और

(ii) पूर्विकता स्थिति में तृतीय के रूप में चिन्हांकित आवेदकों को उदग्रहणीय पूर्ण शास्ति के तीस प्रतिशत तक या उसके समतुल्य कमी मंजूर की जा सकेगी ।

5. निम्नतर शास्ति की मंजूरी के लिए प्रक्रिया. -

(1) निम्नतर शास्ति की मंजूरी के प्रयोजन के लिए, आवेदक या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट सभी सारवान जानकारी अंतर्विष्ट करने वाला कोई आवेदन कर सकेगा या वह किसी उत्पादक संघ की विद्यमानता के संबंध में जानकारी और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पदाभिहित प्राधिकारी को मौखिक रूप से या ई-मेल या फैक्स के माध्यम से संपर्क कर सकेगा । तत्पश्चात्, पदाभिहित प्राधिकारी तीन कार्य दिवसों के भीतर मामले को विचारार्थ आयोग के समक्ष रखेगा ।

(2) आयोग उस पर आवेदक की पूर्विकता स्थिति को चिन्हित करेगा और पदाभिहित प्राधिकारी उसकी संसूचना टेलीफोन या ई-मेल अथवा फैक्स के माध्यम से आवेदक को प्रेषित करेगा । यदि उपविनियम (1) के अधीन प्राप्त जानकारी मौखिक है अथवा ई-मेल अथवा फैक्स के माध्यम से है तो आयोग आवेदक को पंद्रह दिन से अनधिक अवधि के भीतर अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट सभी सारवान जानकारी अंतर्विष्ट करने वाला एक लिखित आवेदन प्रस्तुत करने का निदेश देगा ।

(3) आयोग द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख और समय वह तारीख और समय होंगे जिन्हें पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाए या जो पदाभिहित प्राधिकारी के सरवर या फैक्सिमाइल प्रेषण मशीन पर अभिलिखित हो ।

(4) जहां आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन, प्रथम सम्पर्क के पंद्रह दिन की अवधि के भीतर या आयोग द्वारा विस्तारित की जाने वाली और अवधि के दौरान प्राप्त नहीं होता है, वहां आवेदक के निम्नतर शास्ति की मंजूरी के लिए पूर्विकता स्थिति और उसके परिणामों के लिए दावे का समपहरण हो सकेगा ।

(5) आयोग, अपने पदाभिहित प्राधिकारी के माध्यम से, आवेदन की प्राप्ति पर लिखित अभिस्वीकृति उपलब्ध कराएगा, जिसमें आवेदन की पूर्विकता स्थिति की सूचना होगी किन्तु मात्र उस आधार पर वह आवेदक को निम्नतर शास्ति की मंजूरी के लिए हकदार नहीं बनाएगी ।

(6) जब तक की प्रथम आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का मूल्यांकन न कर लिया जाए, तब तक आयोग द्वारा अगले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(7) जहां आयोग की यह राय है कि निम्नतर शास्ति के फायदे का या पूर्विकता स्थिति के लिए आवेदन प्रस्तुत करने वाले आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि ने अनुसूची में यथानिर्दिष्ट और वर्णित जानकारी और साक्ष्य का पूर्ण और सत्य प्रकटन उपलब्ध नहीं कराया है या उसने आयोग द्वारा समय-समय पर यथाअपेक्षित प्रकटन प्रस्तुत नहीं किया है, वहां आयोग मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् आवेदक के आवेदन को नामंजूर करते हुए विनिश्चय कर सकेगा, किन्तु ऐसा करने से पूर्व आयोग ऐसे आवेदक को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करेगा ।

(8) जहां पहले आवेदक को पूर्विकता स्थिति का फायदा मंजूर नहीं किया जाता है, वहां पश्चातवर्ती आवेदक आयोग द्वारा पूर्विकता स्थिति की मंजूरी के लिए पूर्विकता के अनुक्रम में ऊपर आ जाएंगे और पहले आवेदक के मामले में दिए गए अनुसार ऊपर विहित प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी ।

(9) निम्नतर शास्ति के आवेदन को मंजूर या नामंजूर करने वाले आयोग के विनिश्चय को आवेदक को संसूचित किया जाएगा ।

6. गोपनीयता.-

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयोग आवेदक की पहचान या उससे प्राप्त जानकारी को गोपनीय मानेगा और तब तक ऐसी पहचान या जानकारी को प्रकट नहीं करेगा जब तक कि,-

(क) प्रकटन विधि द्वारा अपेक्षित हो ; या

(ख) आवेदक ने लिखित में ऐसे प्रकटन के प्रति सहमति दी हो ; या

(ग) आवेदक द्वारा कोई लोक प्रकटन किया गया हो ।

7. कठिनाई का निवारण.-

इन विनियमों के उपबंधों के निर्वचन या कार्यान्वयन के विषय में यदि कोई संदेह या कठिनाई उदभूत होती है तो उसे आयोग के समक्ष रखा जाएगा और उस पर आयोग का विनिश्चय आबद्धकर होगा ।

अनुसूची

आवेदन की अंतर्वस्तु

[विनियम 5 के उपविनियम (1) और (2) को देखिए]

निम्नतर शास्ति के लिए आवेदन में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात् :-

(क) आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि और साथ ही उत्पादक संघ के अन्य सभी उद्यमों का नाम और पता ;

(ख) उस दशा में जहां आवेदक भारत से बाहर रहता है वहां संसूचना के लिए भारत में पता, जिसके अंतर्गत टेलीफोन नंबर और ई-मेल पता आदि हैं ;

(ग) अभिकथित उत्पादक संघ व्यवस्था का एक ब्यौरेवार वर्णन, जिसमें इसके लक्ष्य और उद्देश्य तथा ऐसे लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए क्रियाकलापों और कृत्यों के ब्यौरे सम्मिलित होंगे ;

(घ) अंतर्वलित माल या सेवाएं ;

(ङ) सम्मिलित होने वाले भौगोलिक बाजार ;

(च) उत्पादक संघ का प्रारंभ और उसकी समयावधि ;

(छ) अभिकथित उत्पादक संध से प्रभावित कारबार की प्राक्कलित मात्रा ;

(ज) ऐसे सभी व्यक्तियों के, जो आवेदक की जानकारी में अभिकथित उत्पादक संघ से सहबद्ध हैं या रहे हैं और इसके अंतर्गत ऐसे व्यष्टि भी हैं जो आवेदक की ओर से उसमें सम्मिलित रहे हैं, नाम, हैसियत, कार्यालय के अवस्थान और जहां कहीं आवश्यक हो घर के पते ;

(झ) ऐसे अन्य प्रतिस्पर्धा प्राधिकारी, मंचों या न्यायालयों के, यदि कोई हों, जिनसे अभिकथित उत्पादक संघ के संबंध में संपर्क किया गया है या संपर्क करने का आशय है ;

(ञ) निम्नतर शास्ति के लिए आवेदन के समर्थन में उपलब्ध कराए जाने वाले साक्ष्य की प्रकृति और अंतर्वस्तु के संबंध में साक्ष्य की ब्यौरेवार सूची ; और

(ट) ऐसी कोई अन्य सारवान जानकारी जिसके संबंध में आयोग द्वारा निदेश दिया जाए ।

एस. एल. बंकर, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./187-एम 09]

THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2009

The Competition Commission of India (Lesser Penalty) Regulations, 2009 (No. 4 of 2009)

No. L-3(4)/Reg-L.P./2009-10/CCI.— In exercise of the powers conferred by section 64, read with section 46 and clause (b) of section 27 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Competition Commission of India hereby makes the following regulations, namely: -

1. Short title and commencement.–

(1) These regulations may be called the Competition Commission of India (Lesser Penalty) Regulations, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.–

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires, –

(a) "Act" means the Competition Act, 2002 (12 of 2003);

(b) "applicant" means an enterprise, as defined in clause (h) of section 2 of the Act , who is or was a member of a cartel and submits an application for lesser penalty to the Commission;

(c) "cartel" means a cartel as defined in clause (c) of section 2 of the Act;

(d) "Commission" means the Competition Commission of India established under sub-section (1) of section 7 of the Act;

(e) "company" means a company as defined in clause (a) of *Explanation* to sub-section (2) of section 48 of the Act;

(f) "designated authority" means an officer of the Commission who is authorized by the Chairperson to function as such, for the purpose of these regulations;

(g) "Director General" means the Director General as defined in clause (g) of section 2 of the Act;

(h) "priority status" means the position of the applicant marked for giving the benefit of lesser penalty in the queue of the applicants;

(i) "vital disclosure" means full and true disclosure of information or evidence by the applicant to the Commission, which is sufficient to enable the Commission to form a *prima-facie* opinion about the existence of a cartel or which helps to establish the contravention of the provisions of section 3 of the Act.

(2) Words and expressions used but not defined in these regulations shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act, rules, regulations or in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), as the case may be.

3. Conditions for lesser penalty. –

(1) An applicant, seeking the benefit of lesser penalty under section 46 of the Act, shall –

2950 GI/09-2

(a) cease to have further participation in the cartel from the time of its disclosure unless otherwise directed by the Commission;
(b) provide vital disclosure in respect of violation under sub-section (3) of section 3 of the Act;
(c) provide all relevant information, documents and evidence as may be required by the Commission ;
(d) co-operate genuinely, fully, continuously and expeditiously throughout the investigation and other proceedings before the Commission; and
(e) not conceal, destroy, manipulate or remove the relevant documents in any manner, that may contribute to the establishment of a cartel.

(2) Where an applicant fails to comply with the conditions mentioned in sub-regulation (1), the Commission shall be free to use the information and evidence submitted by the applicant, in accordance with the provisions of section 46 of the Act.

(3) Without prejudice to sub-regulations (1) and (2), the Commission may subject the applicant to further restrictions or conditions, as it may deem fit, after considering the facts and circumstances of the case.

(4) The discretion of the Commission, in regard to reduction in monetary penalty under these regulations, shall be exercised having due regard to –
(a) the stage at which the applicant comes forward with the disclosure;
(b) the evidence already in possession of the Commission;
(c) the quality of the information provided by the applicant; and
(d) the entire facts and circumstances of the case.

4. Grant of lesser penalty. –

Subject to the conditions laid down in regulation 3, the applicant may be granted benefit of lesser penalty than leviable under clause (b) of section 27 of the Act, as the commission may decide, in the following manner, namely;-

(a) The applicant may be granted benefit of reduction in penalty upto or equal to one hundred percent, if the applicant is the first to make a vital disclosure by submitting evidence of a cartel, enabling the Commission to form a prima-facie opinion regarding the existence of a cartel which is alleged to have violated section 3 of the Act and the Commission did not, at the time of application, have sufficient evidence to form such an opinion:

Provided that the Commission may also grant benefit of reduction in penalty upto or equal to one hundred percent, if the applicant is the first to make a vital disclosure by submitting such evidence which establishes the contravention of section 3 of the Act in a matter under investigation and the Commission, or the Director General did not, at the time of application, have sufficient evidence to establish such a contravention:

Provided further that the application for the benefit of reduction in penalty upto or equal to one hundred percent will only be considered, if at the time of the application, no other applicant has been granted such benefit by the Commission.

(b) The applicants who are subsequent to the first applicant may also be granted benefit of reduction in penalty on making a disclosure by submitting evidence, which in the opinion of the Commission, may provide significant added value to the evidence already in

possession of the Commission or the Director General, as the case may be, to establish the existence of the cartel, which is alleged to have violated section 3 of the Act.

Explanation. – For the purposes of these regulations, "added value" means the extent to which the evidence provided enhances the ability of the Commission or the Director General, as the case may be, to establish the existence of a cartel, which is alleged to have violated section 3 of the Act.

(c) The reduction in monetary penalty referred to in clause (b) shall be in the following order-

(i) the applicant marked as second in the priority status may be granted reduction of monetary penalty upto or equal to fifty percent of the full penalty leviable; and

(ii) the applicant(s) marked as third in the priority status may be granted reduction of penalty upto or equal to thirty percent of the full penalty leviable.

5. Procedure for grant of lesser penalty. –

(1) For the purpose of grant of lesser penalty, the applicant or its authorized representative may make an application containing all the material information as specified in the Schedule, or may contact, orally or through e-mail or fax, the designated authority for furnishing the information and evidence relating to the existence of a cartel. The designated authority shall, thereafter, within three working days, put up the matter before the Commission for its consideration.

(2) The Commission shall thereupon mark the priority status of the applicant and the designated authority shall convey the same to the applicant either on telephone, or through e-mail or fax. If the information received under sub-regulation (1) is oral or through e-mail or fax, the Commission shall direct the applicant to submit a written application containing all the material information as specified in the Schedule within a period not exceeding fifteen days.

(3) The date and time of receipt of the application by the Commission shall be the date and time as recorded by the designated authority or as recorded on the server or the facsimile transmission machine of the designated authority.

(4) Where the application, along with the necessary documents, is not received within a period of fifteen days of the first contact or during the further period as may be extended by the Commission, the applicant may forfeit its claim for priority status and consequently for the benefit of grant of lesser penalty.

(5) The Commission, through its designated authority, shall provide written acknowledgement on the receipt of the application informing the priority status of the application but merely on that basis, it shall not entitle the applicant for grant of lesser penalty.

(6) Unless the evidence submitted by the first applicant has been evaluated, the next applicant shall not be considered by the Commission.

(7) Where the Commission is of the opinion that the applicant or its authorized representative, seeking the benefit of lesser penalty or priority status, has not provided full and true disclosure of the information and evidence as

referred and described in the Schedule or as required by the Commission, from time to time, the Commission may take a decision after considering the facts and circumstances of the case for rejecting the application of the applicant, but before doing so the Commission shall provide an opportunity of hearing to such applicant.

(8) Where the benefit of the priority status is not granted to the first applicant, the subsequent applicants shall move up in order of priority for grant of priority status by the Commission and the procedure prescribed above, as in the case of first applicant, shall apply mutatis mutandis.

(9) The decision of the Commission of granting or rejecting the application for lesser penalty shall be communicated to the applicant.

6. Confidentiality. –

Notwithstanding anything contained in the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, the Commission shall treat as confidential the identity of the applicant or the information obtained from it and shall not disclose the identity or the information obtained unless-

(a) the disclosure is required by law; or

(b) the applicant has agreed to such disclosure in writing; or

(c) there has been a public disclosure by the applicant.

7. Removal of difficulty.–

In the matter of interpretation or implementation of the provisions of these regulations, if any doubt or difficulty arises, the same shall be placed before the Commission and the decision of the Commission thereon, shall be binding.

THE SCHEDULE

CONTENTS OF THE APPLICATION

[See sub-regulations (1) and (2) of regulation 5]

The application for lesser penalty shall, *inter-alia*, include the following, namely;-

(a) name and address of the applicant or its authorized representative as well as of all other enterprises in the cartel;

(b) in case the applicant is based outside India, the address of the applicant in India for communication including the telephone numbers and the e-mail address, etc. ;

(c) a detailed description of the alleged cartel arrangement, including its aims and objectives and the details of activities and functions carried out for securing such aims and objectives;

(d) the goods or services involved;

(e) the geographic market covered;

(f) the commencement and duration of the cartel;

(g) the estimated volume of business affected by the alleged cartel;

(h) the names, positions, office locations and, wherever necessary, home addresses of all individuals who, in the knowledge of the applicant, are or have been associated with the alleged cartel, including those individuals which have been involved on behalf of the applicant ;

(i) the details of other Competition Authorities, forums or courts, if any, which have been approached or are intended to be approached in relation to the alleged cartel;

(j) a descriptive list of evidence regarding the nature and content of evidence provided in support of the application for lesser penalty; and

(k) any other material information as may be directed by the Commission.

S. L. BUNKER, Secy.

[ADVT-III/4/Exty./187-M/09]

IndiaCode

2950 GI/09-3

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

IndiaCode

THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA

FORM V
(*See* regulation 11)

REFERENCE TO THE INCOME-TAX AUTHORITY

[Under The Competition Act, 2002 (12of 2003)]

Case No._____

To

Tax Recovery Officer

Subject: Recovery of penalty as tax due under the Income-tax Act, 1961(43 of 1961) - reference under section 39(2) of the Competition Act, 2002.

Whereas *vide* order dated_____ in the matter of _____ (case No____) the Competition Commission of India (the Commission) has imposed a penalty of Rs._____ (Rupees_____) on_____ *(Name of the concerned enterprise)* having its office at_____ *(address)* and having _____PAN number under section (s) _____ of the Competition Act, 2002 (12 0f 2003) (the Act); and

Whereas the Commission, in terms of section 39(2) of the Act, is empowered to make a reference to the concerned Income-tax authority, for recovery of the penalty as 'tax due' under the Income-tax Act,1961 (43 of 1961) (the Income-tax Act); and

Whereas, in terms of section 39(2) of the Act, the provisions contained in sections 221 to 227, 228A, 229, 231 and 232 of the Income-tax Act and the Second Schedule to Income-tax Act and any Rules made thereunder, are to apply as if these were part of the Act; and

Whereas the Commission, in terms of section 39(2), is of the opinion that it would be expedient to recover the penalty imposed under the Act as 'tax due' under the Income-tax Act;

You are hereby required to recover the penalty from the enterprise treating the enterprise as an 'assessee in default' under Income-tax Act and inform the Commission about the recovery made.

Place:.....
Date:.....

Signature:.....
Name:.....
Designation: Secretary
Competition Commission of India
Seal

S.L. BUNKER, Secy.

[ADVT. III/4/187-M/10/Exty.]

652 GI711-7

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

IndiaCode